

प्रेषक,

जी०के० टण्डन,  
राहत आयुक्त एवं सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ: दिनांक ०७ सितम्बर २००८

विषय: मोटर लांच की मरम्मत हेतु अतिरिक्त धनावंटन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-२९८ / आपदा-(मोटरबोट) / २००८-०९, दिनांक २७ जुलाई, २००८ के क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग द्वारा क्य की गई मोटर लांच की मरम्मत हेतु अतिरिक्त धनराशि रु० ४६,०००/- (रुपये छियालिस हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २००८-०९ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२२४५-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर- ०५-आपदा राहत निधि-८००-अन्य व्यय-०३- राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय -४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।


3. उक्त स्वीकृत धनराशि राजस्व विभाग द्वारा क्य की गई मोटर लांच की मरम्मत पर ही व्यय की जायेगी। उक्त मोटर लांच की मरम्मत का कार्य स्थानीय स्तर पर विद्युत यांत्रिक डिवीजन, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण/भौतिक कार्य विवरण शासनादेश संख्या १६९३ / १-११ -२००५-रा०-११ दिनांक २० जून, २००५ द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की ०५ तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

5. शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक २५ मार्च, २००९ तक शासन को अवश्य सूचित करते हुये वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाय।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या -42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।


7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,  
  
 ( जी०क० टण्डन ).  
 राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : ३१ २०/१-१०-२००८-१४(२३) / २००४ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाकार राजस्व अनुभाग-१० / राजस्व अनुभाग-६/११ / राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. वित्तीय वर्ष २००८-०९ की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
  
 ( लक्ष्मी नारायण )  
 अनु सचिव।